कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 25.09.2021 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार नागर, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोटी, सांगोद जिला कोटा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलीकलां (216686) कोटा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सुरेन्द्र कुमार नागर द्वारा माननीय अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5515/2021 दायर की गई ।

अपील संख्या 5515/2021 में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 16.11.2021 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार नागर नें अपने अभ्यावेदन में अपने विद्यालय में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपना पदस्थापन राउमावि ढोटी ब्लॉक सांगोद/हनुमान बस्ती, कोटा/भदाना/भंवरिया, लाडपुरा/मंडाना, लाडपुरा/बल्लोप, तालेड़ा/कुकड़ा खुर्द, खेराबाद जिला कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी के विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता में भी स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोटा जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले या दूरस्थ स्थान पर नहीं। इस प्रकार जिले के भीतर ही स्थानीय स्थानान्तरण किये जाने के बावजूद भी इच्छित स्थान पर पदस्थापित किये जाने की अपीलार्थी की मांग उचित प्रतीत नहीं होती। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य एवं विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित/स्थानान्तरित किये जाने से किसी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अपीलार्थी श्री शीशराम विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलीकलां (216686) जिला कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(कान्ना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुरेन्द्र/अपील/5515/21/327 **दिनांकः** 31/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री शीशराम, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)